तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज
6/6/25	...वली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं ... कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11/7/25 को पेश हो।
11/7/25	...वली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। ... कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/25 को पेश हो।
20/8/25	वकील वादी उप.। वकील वादी ने अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व मे हो जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 11/9/25 को पेश हो।
11/9/25	वकील वादी अनु.। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 25/9/25 को पेश हो।
25/9/25	वकील वादी उप.। बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 1/10/25 को पेश हो।
1/10/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादवर्णित आराजी का अवैध हस्तान्तरण पाये जाने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाकर तहसीलदार तालेडा को वाद वर्णित आराजी ख. सं. 126 रकबा 5.13 बीघा में से 5 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज करने आदेश प्रदान किये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना ... [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनसी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68/दावा/2017	20.09.2017	01.10.2025

मदनलाल आ0 किशना जाति कहार निवासी नेणदा तह0 तालेडा जिला बूंदी — वादी

बनाम

1. संजुबाई पुत्री भंवरलाल जाति बलाई निवासी के0पाटन तह0 के0पाटन जिला बूंदी
2. राज. राज्य द्वारा तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी — –प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री अनन्त शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 126 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जलोदा पटवार हल्का अकतासा में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 के खाते में अंकित है। उपरोक्त भूमि खसरा सं0 126 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से दक्षिण साईड की 13 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पिता तत्कालीन खातेदार भंवरलाल आ0 मांग्या जाति बलाई निवासी जलोदी ने दिनांक 11.07.1974 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचाननामा वादी को विकय कर दी थी। जिसकी प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचानशुदा भूमि का कब्जा वादी को संभला दिया गया था। जिस पर वादी काबिजकाश्त है। तत्कालीन खातेदार भंवरलाल आ0 मांग्या का देहान्त हो जाने से जर्ये नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 30.12.2015 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के खाते में अंकित हो गई। चूंकि तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त भूमि वादी को बेचान करने के पश्चात उक्त भूमि पर भंवरलाल व उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं रहता। वादी 47 वर्ष से भूमि पर काबिज काश्त होने से समस्त कानूनी कार्यवाही मियाद बाहर हो चुकी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी कयशुदा भूमि को अपने खाते अंकित करावे। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार बन चुका है। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त भूमि में उसका नाम गलत रूप से अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर उसे बेचने पर आमदा है। इसलिए वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कयशुदा भूमि पर खाते में अपना नाम अंकित करावे व प्रतिवादी सं0 1 का नाम खाते से विलोपित करावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादी सं0 उक्त भूमि को रहन बेचान नहीं करे और वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना स्वयं करे ना हीं अन्य से करावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा वादपत्र के सर्मथन में स्वयं का शपथपत्र एवं असल विकय पत्र प्रदर्श 1 एवं जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 नई 2 पुरानी 68 वाके ग्राम जलोदा पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोहराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किये जाने एवं 47 वर्ष से काबिज काश्त होने पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को वाद वर्णित आराजी पर खातेदार घोषित किए जाने, प्रतिवादी सं0 1 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अधोपान्त अवलोकन करने पर हम इस पर पहुँचे है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 126 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि का जर्य रजिस्टर्ड बेचान भंवरलाल आ0 मांग्या जाति बलाई निवासी जलोदी ने दिनांक 12.07.1974 को मदनलाल आ0 किशना जाति कहार निवासी नाणदा को किया जाना पाया जाता है। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अवैध होना पाया जाता है। उक्त भूमि का अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग में बेचान होने से वाद वर्णित आराजी का बेचान ही नियम विरूद्ध अवैध है। उक्त स्थिति में वादी को वाद वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का अनुतोष अंतर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः वाद वर्णित आराजी का बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अवैध होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा निर्देशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 126 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि का जर्य रजिस्टर्ड बेचान भंवरलाल आ0 मांग्या जाति बलाई निवासी जलोदी ने दिनांक 12.07.1974 को मदनलाल आ0 किशना जाति कहार निवासी नाणदा को किया जाना प्रमाणित होने से आराजी ख0सं0 126 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जलोदा पटवार हल्का अकतासा में से 5 बीघा भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किये जाने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner